न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—111/2019/225 (2019/00111)

1. श्रवणलाल पुत्र कालूराम, जाति बलाई, निवासी कल्याणीपुरा क्रमोन्नत तह. रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. हनुमान लाल पुत्र मांगू, जाति बलाई, निवासी गांव नंवा, तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर ।
2. शंकरलाल पुत्र अर्जुनलाल, जाति बलाई, निवासी मोहनपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
3. रामेश्वर पुत्र हरजीत जाति रैगर, निवासी कल्याणीपुरा क्रमोन्नत तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर हाल निवासी लिचाणा नांवा पोस्ट लिचाणा, वार्ड नं0 2, जिला नागौर ।
4. नाथू पुत्र हरजीत, जाति रैगर, निवासी कल्याणीपुरा क्रमोन्नत तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
5. श्रीमती संतोष पत्नि मदनलाल, जाति रैगर, निवासी नया पता लिच्छाणा वाया मिठड़ी तह0 नांवा सिटी, जिला नागौर ।
6. राकेश पुत्र मदनलाल नाबालिग,
7. जीतेश पुत्र मदनलाल नाबालिग,
8. मूलचंद पुत्र मदनलाल नाबालिग,
9. सिणगारी पुत्री मदनलाल नाबालिग,
10. मंजू पुत्री मदनलाल नाबालिग,
    रेस्पो0 संख्या 7 से 11 नाबालिग जरिये वली कुदरती माता श्रीमती संतोष पत्नि मदनलाल, जाति रैगर, निवासी नया पता लिच्छाणा वाया मिठड़ी, तहसील नांवा सिटी, जिला नागौर ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़, कैम्प कोर्ट नवा दिनांक 6.6.2016 अंतर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 12/2015.

उपस्थितः—

1. श्री प्रदीप विश्नोई, वकील अपीलांट।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 1, 2, 4 व 5.
3. रेस्पो0 संख्या 6 से 10 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 11.

निर्णय

दिनांकः— 18.11.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के निर्णय दिनांक 6.6. 2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कल्याणीपुरा, पटवार क्षैत्र रघुनाथपुरा, तह0 रूपनगढ़, जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा नंबर 14 की 9 बीघा 12 बिस्वा भूमि प्रार्थी श्रवणलाल की खातेदारी भूमि है जिसका वह उपयोग व उपभोग करता आ रहा है । इसी भूमि पर प्रार्थी व उसका परिवार निर्मित मकान में निवास करता है । प्रार्थी के खेत व मुख्य सड़क के मध्य खसरा नंबर 32 स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 वर्तमान अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 11 की खातेदारी भूमि है जिसकी पूर्वी दिशा की ओर से प्रार्थी हमेशा से ही अपने खेत में आता जाता रहा है और मौके पर भी खसरा नंबर 32 की पूर्वी दिशा में रास्ता मौजूद है किन्तु वर्तमान में इसके अप्रार्थीगण ने रोक दिया है जबकि प्रार्थी का अपने खेत व उस पर कुएं आदि पर आने जाने का केवल यही एक मात्र रास्ता है । रास्ता राजस्व रिकार्ड में मंजूर नहीं होने से अप्रार्थीगण उसमें बाधा उत्पन्न करते है । अतः प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 14 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 32 की पूर्वी सीमा पर 20 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजीर नक्शा एवं पैरा संख्या 5 में वर्णित अनुसार मंजूर कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 6.6.2016 द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंटस उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष यह स्पष्ट हो जाने के बावजूद कि खसरा नंबर 32 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा बीघा में से पूर्वी दिशा में रास्ता मौजूद है जिसे मंजूर करने हेतु 12 बिस्वा भूमि रास्ते के रूप में देने बाबत् सहमति अप्रार्थी संख्या 1 व 2 हनुमान व शंकर लाल ने प्रदान कर दी थी इसके बावजूद अधी0न्याया0 द्वारा इस संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर रास्ता मंजूर नहीं करने का आदेश देने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने न्यायालय के समक्ष स्वीकारोक्ति प्रदान की थी जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि खसरा नंबर 32 की पूर्वी सीमा जो नजरी नक्शे में दर्शायी गई है, से प्रार्थी अपने खेत में लगातार आता जाता रहा है और यही एक मात्र रास्ता प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 14 में आने जाने हेतु उपलब्ध है । जब अप्रार्थीगण ने रास्ता मंजूर करने की स्वीकृति प्रदान कर दी थी तो न्यायालय का यह कर्त्तव्य था कि वह धारा 251—ए के प्रावधानों के तहत रास्ता मंजूर करने का आदेश पारित करते और इसके एवज में डी0एल0सी0 दर की दुगनी राशि जमा कराने हेतु भी प्रार्थी तैयार है किन्तु अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील

अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि वर्तमान में अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 11 तरतीबी है क्योंकि इनके विरूद्ध प्रार्थना पत्र धारा 251–ए प्रस्तुत किया गया था किन्तु कुछ समय पश्चात् इनके द्वारा भूमि वर्तमान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को बेचान कर दी थी और उन्हीं के द्वारा न्यायालय के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि होने के आधार पर सहमति जाहिर की गई थी और वर्तमान में खसरा नंबर 32 के यही दो खातेदार है । चूंकि अप्रार्थीगण संख्या 3 से 11 अधी0न्याया0 के निर्णय में पक्षकार रहे है इसलिये उन्हें हाजा न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोयित किया गया है । मुख्य अप्रार्थी संख्या 1 व 2 है जो वर्तमान में विवादित आराजी के खातेदार है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 6.6.2012 को संशोधित कर रास्ते के संबंध में भूमि जरिये समर्पणनामा समर्पित कराने के बजाय धारा 251–ए के प्रावधान के तहत डी0एल0सी0 दर की दोगुना राशि लेकर खसरा नंबर 32 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा में पूर्वी दिशा की तरफ सींव के साथ–साथ 18 फुट चौड़ा रास्ता मंजूर किये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने प्रकरण न्याय आपके द्वार शिविर मुकाम नंवा में पत्रावली निर्धारित की ओर दिनांक 6.6.2016 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र यह कहते हुए निर्णित कर दिया कि अप्रार्थी संख्या 11 व 12 जो कि वर्तमान मे खसरा नंबर 32 के खातेदार है, ने खसरा नंबर 32 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा में से 12 बिस्वा (18 फुट) भूमि रास्ते देने हेतु बाबत् सहमति जाहिर की है । अप्रार्थी संख्या 11 व 12 को ओदश दिया जाता है कि वे खसरा नंबर 32 रकबा 17–12–00 बीघा में से 12 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु समर्पित कर समर्पणनामा पेश करे ओर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उसी आधार पर रास्ता चालू होने का आधार लेते हुए खारिज कर दिया । उक्त आदेश के बाद प्रार्थी अपने खेत में आने जाने हेतु खसरा नंबर 32 की पूर्वी सीमा के साथ 18 फुट रास्ते की भूमि का लगातार उपयोग करता आ रहा था । वर्तमान अप्रार्थी संख्या 11 व 12 ने अपनी सहमति व उपखण्ड अधिकारी के आदेश की पालना में खसरा नंबर 32 में से 12 बिस्वा भूमि का समर्पणनापमा आज दिनांक प्रस्तुत नहीं किया है और वर्तमान में दिनांक 20.7.2017 को प्रार्थी को रास्ते में आने जाने से रोक दिया । जिस पर प्रार्थी ने जानकारी प्राप्त कर तथा प्रमाणित प्रतियां लेने के उपरांत अपने अधिवक्ता से कानूनी राय लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पोडेंटस ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । रेस्पो0 द्वारा अपीलांट के रास्ते में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की जा रही है इस संबंध में रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष अपना जवाब पेश किया था । अधी0न्याया0 ने उक्तानुसार अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट ने स्वंय की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 14 की 9 बीघा 12 बिस्वा

भूमि में आवागमन हेतु रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की आराजी खसरा नंबर 32 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा की पूर्वी सीमा पर 20 फुट चौड़ा रास्ते का अनुतोष चाहा है । अपीलांट का यह भी कथन रहा है कि अपीलांट उक्त आराजी से हमेशा आता जाता रहा है किन्तु वर्तमान में रेस्पो0 ने उक्त रास्ते को बंद कर दिया है । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 जो कि वर्तमान में विवादित आराजी के जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के क्रेता होकर खातेदार काश्तकार है ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर अपने जवाब प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में अंकित किया है कि अप्रार्थीगण ने खसरा नंबर 32 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा में से मौके पर 12 बिस्वा यानि 18 फुट चौड़ा रास्ता के लिये जमीीन छोड़ रखी है बाकी 17 बीघा भूमि पर की मेड़बंदी करवा ली है तथा 17 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से 12 बिस्वा भूमि रास्ते के लिए सरकार के पक्ष में सरेण्डर करते है । अपने प्रार्थना पत्र में यह भी कथन किया कि प्रार्थी को 18 फुट चौड़ा रास्ता पहले से ही उपलब्ध है । प्रार्थी ने गलत व झूंठा प्रार्थना पत्र पेश किया है । उक्त जवाब प्राप्त होने पर अधी0न्याया0 ने प्रकरण को निर्णित करने हेतु नायब तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की । नायब तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि '' ग्राम कल्याणीपुरा के खसरा नंबर 32 की पश्चिमी मेड़ से रास्ता निकलता है जो कि चारागाह भूमि व अन्य खातेदारों के खेतों में जाता है । इसी रास्ते को वादी श्रवण पुत्र कालू बलाई अपनी खातेदारी के खेत खसरा नंबर 14 में आने जाने के काम में लेता है । मौके पर रास्ता चालू है, बंद नहीं है ।'' अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 6.6.2016 को पारित किया जिसके अनुसार अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया तथा अपने निर्णय में यह भी अंकित किया कि अप्रार्थी संख्या 11 व 12 जो कि वर्तमान में खसरा नंबर 32 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा के खातेदार है, ने खसरा नंबर 32 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा में से 12 बिस्वा (18 फीट चौड़ा रास्ता) भूमि रास्ते हेतु देने बाबत् सहमति जाहिर की है । अप्रार्थी संख्या 11 व 12 को आदेश दिया जाता है कि वे खसरा नंबर 32 रकबा 17–12–00 बीघा में से 12 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु समर्पित कर समर्पणनामा पेश करे ।

9. अपीलांट ने उक्त आदेश के विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 को रेस्पो0 द्वारा सहमति दिये जाने के उपरांत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानो के अनुसार डी0एल0सी0 दर जमा करवाने के आदेश पारित कर रास्ते के संबंध में आदेश पारित करने चाहिये थे ।

10. इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 द्वारा रास्ते की भूमि बाबत् सहमति दिये जाने के उपरांत अधी0न्याया0 को धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 में प्रावधित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रास्ते बाबत् स्पष्ट निर्णय पारित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने खातेदार रेस्पो0 को समर्पणनामा का आदेश देते हुए प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी/अपीलांट की आराजी में आवागमन हेतु उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नही है एवं न ही अप्रार्थीगण ने इस संबंध में कोई कथन ही किया है बल्कि रेस्पो0 ने रास्ते बाबत् भूमि दिये जाने में अपनी लिखित सहमति प्रकट की है । अधी0न्याया0 को रेस्पो0 की लिखित सहमति के आधार पर धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 में प्रावधित प्रावधानों को मध्यनजर रखकर स्पष्ट आदेश पारित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

11. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 12/2015 में पारित निर्णय दिनांक 6.6.2012 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वे रेस्पो0 द्वारा रास्ते बाबत् दी गई सहमति को ध्यान में रखकर, उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानों के मध्यनजर प्रार्थना पत्र को पुनः निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 18.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर